न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।
अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1485/2026
(CNR No.UPBH010039812026)

शिवम गौड़ आयु 30 साल पुत्र अशोक कुमार गौड़, निवासी–डिहवा कलां, थाना–बौण्डी, जनपद–बहराइच––– ———आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र० राज्य––– ———अभियोजन पक्ष।

एवं

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1492/2026
(CNR No.UPBH010039802026)

शुभम गौड़ आयु 32 साल पुत्र सतीश उर्फ सत्तन, निवासी–डिहवा कलां, थाना–बौण्डी, जनपद–बहराइच––– ————आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र० राज्य––– ———अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–36/2026,
धारा–316(5), 318(4), 319(2),
336(3), 338, 340(2) बी०एन०एस०,
थाना–कोतवाली देहात, जनपद–बहराइच।

———

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

28.07.2026

1. थाना–कोतवाली देहात, जनपद–बहराइच के मुकदमा अपराध संख्या–36/2026, अन्तर्गत धारा–316(5), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बी०एन०एस० में आवेदक/अभियुक्त शिवम गौड़ एवं आवेदक/अभियुक्त शुभम गौड़ की तरफ से उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वयं के पृथक–पृथक शपथ–पत्रों के साथ प्रस्तुत किये गये हैं।

2. उपरोक्त दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र एक ही अपराध संख्या एवं घटना से सम्बन्धित हैं। अतः सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्रों को एकीकृत किया जाता है, जिसमें से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1485/2026 अग्रणी रहेगा।

3. आवेदक/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्रों में यह कथन किया गया है कि धारा–482 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत सत्र न्यायालय, बहराइच पर उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। उनके द्वारा कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा खण्डपीठ लखनऊ में भी प्रस्तुत नहीं किया है और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त ही किया गया है।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध केस डायरी व थाने की आख्या का सम्यक् अवलोकन किया।

5. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि फर्म स्वामी श्री मनीष द्वारा फर्म M/S Vaishnvi Traders जीएसटीएन–09HUTPM6431H1ZX के घोषित व्यापार स्थल–0, Gupta Market, Banjari Mod Sainik School, Station Road,Bahraich Railway Station, mohalla saraswati nagar tehsil sadar, Bahraich, Uttar Pradesh, 271801 व्यापारिक वस्तु का नाम MS SCRAPS OLD IRON SCRAP आदि की

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.07.28 14:43:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

खरीद–बिक्री हेतु (केन्दीय क्षेत्राधिकार) खण्ड–1 बहराइच के अन्तर्गत दिनांक–29.07.2024 को पंजीयन लिया गया। पोर्टल पर पंजीयन प्रार्थना–पत्र में मोबाइल नम्बर–7597154946, 7390906851 व ई–मेल आईडी–casatyamsinghiko@gmail.com एवं बैंक INDIAN BANK, BAHRAICH FAKHERPUR TEHSIL KAISARGANJ, खाता नम्बर–742075852114, आईएफसी कोड–IDIB000F504 घोषित किया गया है। जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध आंकडों के विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि उक्त फर्म करापवंचन में लिप्त है एवं बोगस आईटीसी का आदान–प्रदान कर रही है। यह विश्वास होने पर कि उक्त फर्म करापवधन में लिप्त है, की जांच हेतु संयुक्त आयुक्त (विअनुशा) राज्य कर सम्भाग गोण्डा द्वारा जारी आईएनएस–01 के अनुपालन में व्यापारी के घोषित व्यापार स्थल की जांच उपायुक्त (बिअनुशा) राज्य कर, गोण्डा क्षेत्र, गोण्डा की टीम द्वारा दिनांक–30.09.2024 को की गई। जांच पर यह पाया गया कि फर्म सर्वश्री वैष्णवी ट्रेडर्स, गुप्ता मार्केट, बंजारी मोड़ सैनिक स्कूल जांच पर जाँच पर फर्जी/बोगस/अस्तित्वहीन पायी गई व व्यापार स्थल पर फर्म का का कोई व्यक्ति/व्यापार स्थल नहीं पाया गया एवं उक्त फर्म द्वारा 05 ऐसी फर्मों से खरीद की गयी है, जिनके पंजीयन निरस्त हैं व उनसे की गयी कुल खरीद रू–48,95,04,722.35/– से सम्बन्धित बोगस आई०टी०सी० रू०–8,58,78,030.01/– को अपने रिटर्नों में दावित (क्लेम) करते हुए वर्ष 2024–25 में प्रान्त बाहर की फर्मों को कुल रू०–47,29,03,212.80/– की आउटवर्ड सप्लाई घोषित करते हुए आई०जी०एस०टी० रू०–8,28,16,530.16/– की त्रुटिपूर्ण/बोगस/इनएडमिसिबल आई०टी०सी० को पासऑन करते हुए करापवंचन किया गया है। उक्त फर्म अस्तित्वहीन है औऱ केवल करापवंचन के उद्देश्य से पंजीयन लेकर वास्तविक लेन–देन/कारोबार नहीं किया गया, अपितु केवल प्रपत्रों का अदान–प्रदान करके इवएडमिसिबल/बोगस आई०टी०सी० को प्राप्त/प्रयोग व पासऑन किये जाने का कार्य किया गया, जिससे राजस्व को गम्भीर क्षति पहुँचाई गयी है। फर्म M/S Vaishnvi Traders व उसके फर्म स्वामी मनीष द्वारा कपटपूर्ण तरीके से व वास्तविक लेन–देन किये बिना केवल बोगस प्रपत्रों के आदान–प्रदान करते हुए क्लेम आई०टी०सी० रू०–8,58,78,030.01/– व पासऑन की गयी आई०टी०सी० रू०–8,28,16,530.16/– कुल रू०–16,86,94,560.01/– की राजस्व क्षति की गई।

6. वादी अनिल कुमार त्रिपाठी सहायक आयुक्त–वि०अनु०शा० की उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक–30.01.2026 को समय 22:58 बजे श्री मनीष–फर्म मालिक एम०एस० वैष्णवी ट्रेडर्स जी०एस०टी०एन०–09HUTPM6431H1ZX के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–36/2026, अन्तर्गत धारा–319(2), 318(4) बी०एन०एस० में पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा मामले में आवेदक/अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में लाते हुए धारा–338, 336(3), 340(2), 316(5) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गई। मामले की विवेचना प्रचलित है।

7. आवेदक/अभियुक्त शिवम गौड़ के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्रों में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना में किसी विशेष व्यक्ति को नामित नहीं किया गया है। फर्म के नाम से प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी गयी है। दिनांक–24.07.2025 को एक प्रार्थना–पत्र 8 व्यक्तियों द्वारा दिया गया था, जिसके आधार पर डेढ़ वर्ष पूर्व उनके गांव में एक व्यक्ति आया, जिसको वह लोग जानते–पहचानते नहीं थे, उनके गांव के राजितराम ने बताया कि वह पहचानते हैं। उस व्यक्ति के बातों के लालच में आकर उन लोगों ने अपना आधार कार्ड और तीन–तीन फोटो दे दिया। पुनः ग्राम कनेरा बुलाकर उनके दस्तावेज व एक–एक सिमकार्ड ले लिया और एक दो माह में ठेलिया अनुदान दिलाने के लिए कह कर चला गया लेकिन ठेलिया अनुदान नहीं मिला। उसके द्वारा फर्म रजिस्ट्रेशन हेतु न कहीं किसी अभिलेख पर हस्ताक्षर किये गए है और न तथाकथित फर्म का पार्टनर है। तथाकथित एस०आई०टी० द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त आशीष गुप्ता के बयान के आधार पर उसको मुकदमा उपरोक्त व अन्य मुकदमों में अभियुक्त बनाया गया है। उक्त बयान के अतिरिक्त उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। वह अपना काम करता है। उसका अपना बैंक एकाउन्ट है तथा उसका मोबाइल व सिमकार्ड उसी के नाम का है। उक्त मोबाइल व सिमकार्ड के अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य मोबाइल व सिमकार्ड नहीं है। उसका कोई

आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना किया कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

8. आवेदक/अभियुक्त शुभम गौड़ के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्रों में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुए उक्त तर्कों के अतिरिक्त यह भी तर्क दिया है कि विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त का बयान लिया गया था। पूछतांछ करने के बाद उनके द्वारा उसको गवाह बनने हेतु दबाव डाला जा रहा था और यह बताया जा रहा था कि अगर वह गवाह नहीं बनेगा तो हो सकता है कि उसको अभियुक्त बना दिया जाये। उसके द्वारा अत्यधिक तंग व परेशान होने के कारण मुकदमा उपरोक्त में न्यायालय पर उपस्थित होकर वांछित सम्बन्धित रिर्पोट हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक–06.05.2026 को सी०जे०एम०, बहराइच के समक्ष दिया था, जिस पर पुलिस द्वारा मई–2026 मे न्यायालय पर अपनी आख्या भेजी कि वह मुकदमा उपरोक्त मे वांछित नहीं है, लेकिन वह सूचना देने के बाद भी अपना बयान दर्ज कराने न्यायालय पर नहीं आता है। उक्त आख्या के तथ्यों के आधार पर उसके द्वारा विवेचक को लिखित रूप से अपना बयान ऑनलाइन भेज दिया गया था और उनको यह भी सूचित किया कि पूर्व में आप मेरा बयान अंकित कर चुके हैं। लिखित बयान भी विवेचना में शामिल कर ले। उक्त ऑनलाइन प्रार्थना–पत्र के जवाब में दिनांक–15.06.2026 को ऑनलाइन विवेचक द्वारा सूचना भेजी गयी कि वह मुकदमे में वांछित है। उसके पिता ने दिनांक–22.04.2026 को थानाध्यक्ष बौण्डी को ग्राम–चरीमाह, दा०–सिपहिया हुलास के कई लोगों के विरुद्ध शिकायत की थी कि उक्त लोग उसको फर्जी मामले में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। वह सोलर पैनल लगाने का काम करता है। उसका अपना बैंक एकाउन्ट है तथा उसका मोबाइल व सिमकार्ड उसी के नाम का है। उक्त मोबाइल व सिमकार्ड के अतिरिक्त्र उसके पास कोई अन्य मोबाइल व सिमकार्ड नहीं है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह निर्दोष है। उसकी कोई अपराधिक पृष्ठिभूमि नहीं है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना किया कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

9. राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्तगण ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर ग्रामवासियों से सरकार द्वारा ठेलिया दिलाये जाने का लालच देकर छल, कपट व धोखाधड़ी से सिम व कागजात लेकर बोगस कागजात लगाकर बोगस फर्म के माध्यम से जी०एस०टी० की चोरी की गई। राज्य कर अधिकारी द्वारा M/S Vaishnvi Traders फर्म जांच पर बोगस एवं अस्तित्वहीन पायी गई। बोगस फर्म M/S Vaishnvi Traders का फर्म प्रमाण–पत्र लेते समय कूटरचित प्रमाण–पत्रों का इस्तेमाल किया गया है। बोगस फर्म द्वारा बोगस खरीद–बिक्री दिखायी गई है तथा कुल रू०–16,86,94,560.01/– की सरकारी राजस्व क्षति की गई। आवेदक/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्तगण का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में लाया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्तगण का अन्य आपराधिक वादों में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध मामले की विवेचना प्रचलित है। प्रकरण की जांच एस०आई०टी० द्वारा की जा रही है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है और न ही उनके द्वारा विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान अंकित कराया गया है। यदि आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान की गई तो उनके द्वारा विवेचना में सहयोग न किये जाने व साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की संभावना है। कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

10. अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध केस डायरी व थाने की आख्या का सम्यक् अवलोकन किया।

11. केस डायरी एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों के परिशीलन से प्रकट है कि आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि उन्होंने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर बोगस फर्म M/S Vaishnvi Traders का प्रमाण–पत्र लेते समय छल, कपट व धोखाधड़ी से

कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए बोगस फर्म द्वारा खरीद–बिक्री दिखाकर आई०टी०सी० की चोरी करके सरकारी राजस्व की क्षति कारित की। केस डायरी के पर्चा संख्या–05 में वादी अनिल कुमार त्रिपाठी सहायक आयुक्त (वि०अनु०स०) राज्य कर गोण्डा ने विवेचक को अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का समर्थन किया है। केस डायरी के पर्चा संख्या–10 में साक्षी मोबाइल नम्बर 7390906851 धारक खेलावन ने विवेचक को अपने बयान में करीब दो वर्ष पूर्व शुभम गौड़ द्वारा उसके गांव आकर सरकारी योजना के तहत ठेलिया मिलने के बारे में बताने, आधार–कार्ड, एक फोटो व एक सिम देने के लिये कहने, उसके, राधेश्याम, कन्धईलाल, अवधेश, रामसमुझ, देशराज, मूलचन्द, रामलाल द्वारा अपना–अपना आधार–कार्ड, फोटो व सिम शुभम गौड़ को देने, जिसमें उसका सिम/मोबाइल नम्बर 7390906851 होने, करीब आठ/नौ महीना पहले राजस्थान पुलिस द्वारा उन लोगों से पूछतांछ करने आने, उसके द्वारा थानाध्यक्ष–बौण्डी को एक प्रार्थना–पत्र देने पर शुभम गौड़ व उसके पिता सत्यम गौड़ के थाने पर जाने, शुभम के चचेरे भाई शिवम गौड़ को खीरी लखीमपुर पुलिस द्वारा जी०एस०टी० के मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेज देने, उसे उसके नम्बर–7390906851 का प्रयोग फर्जी फर्म बनाने में किये जाने के बारे में पता चलने एवं शुभम गौड़ द्वारा अपने चचेरे भाई शिवम गौड़ से मिलकर व अन्य सहयोगियों सहित बोगस जी०एस०टी० फर्म बनाकर अपराध करने का अभिकथन किया है। केस डायरी के उक्त पर्चे में ही साक्षीगण रामसमुझ, मूलचन्द्र, कन्धईलाल व काशीराम एवं केस डायरी के पर्चा संख्या–11 में साक्षी अवधेश, देशराज, रामलाल व राधेश्याम ने विवेचक को अपने–अपने बयानों में उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन किया है। केस डायरी के पर्चा संख्या–16 में विवेचक द्वारा बिजली बिल खाता संख्या–2357170000 के मालिक ओमप्रकाश गुप्ता एवं उसमें मोबाइल नं०–9140269300 व 9292929292 अंकित होने का उल्लेख किया गया है। केस डायरी के उक्त पर्चे में ही साक्षी दीपक गुप्ता उर्फ दीपू गुप्ता ने विवेचक को दिये अपने बयान में बिजली बिल खाता संख्या–2357170000 उसके पिता ओमप्रकाश गुप्ता, जिनकी मृत्यु करीब 06 वर्ष पहले होने, के नाम होने, मोबाइल नम्बर–9140269300 व 9292929292 के विषय में पूंछने पर 9292929292 नम्बर न होने एवं किसी के द्वारा जानबूझकर गलत नम्बर लिखने, 9140269300 नम्बर शिवम गौड़ का होने, शिवम गौड़ का कुछ साल पहले उसके मकान में किराये पर रहने, साइबर कैफे दुकान चलाने, शिवम गौड़ द्वारा मकान का बिल स्वयं जमा करने एवं बिल के साथ फ्राड करके मोबाइल नम्बर बदलने का अभिकथन किया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत वाद के अतिरिक्त छल, कपट व धोखाधड़ी से सम्बन्धित अन्य आपराधिक वाद पंजीकृत होने सम्बन्धी पुलिस आख्या प्रस्तुत की गई है। अभियोजन का तर्क है कि मामले में विवेचना प्रचलित है एवं साक्ष्य संकलित होना शेष है। आवेदक/अभियुक्तगण के घर पर दबिश देने पर भी वे मौजूद नहीं मिले। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

12. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत का आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त शिवम गौड़ एवं आवेदक/अभियुक्त शुभम गौड़ की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–36/2026, अन्तर्गत धारा–316(5), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बी०एन०एस०, थाना–कोतवाली देहात, जनपद–बहराइच में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाते हैं।

इस जमानत आदेश की एक प्रति अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1492/2026 पर रखी जाये।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

दिनांक–28.07.2026 I.D. UP–2017